



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-243

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 283578 दिनांक 16/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Alok Srivastava S/o Satnami Saran Srivastava	सुस्मिता मीणा पत्नी श्री विनोद कुमार मीणा	A-28-A	133.33 SQ. YARD	Private	BANK OFFICERS CAMPUS -A Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना बैंक ऑफिसर्स कैम्पस ए-ब्लॉक के भूखण्ड संख्या ए-28-ए क्षेत्रफल 133.33 व.ग. का उपविभाजन/नाम हस्तांतरण पत्र क्रमांक डी-7487 दिनांक 14.08.2024 को सीमा मीणा पत्नी देवराज मीणा के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.08.2025 को सीमा मीणा पत्नी देवराज मीणा द्वारा पुष्प लता श्रीवास्तव पत्नी सतनामी शरण श्रीवास्तव को कर दिया गया। तत्पश्चात् सीमा मीणा पत्नी देवराज मीणा



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

द्वारा दिनांक
29.10.2025 को
संशोधित पत्र
तैयार कराया
गया। तत्पश्चात्
उक्त भूखण्ड का
जरिये रजिस्टर्ड
गिफ्ट डीड दिनांक
04.11.2025 को
पुष्प लता
श्रीवास्तव पत्नी
सतनामी शरण
श्रीवास्तव द्वारा
अपने पुत्र आलोक
श्रीवास्तव के पक्ष
में कर दिया गया।
आवेदक द्वारा
नाम हस्तांतरण
हेतु आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Alok Srivastava S/o Satnami Saran Srivastava को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिपाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |